रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 829] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2015/वैशाख 2, 1937
No. 829] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2015/VAISAKHA 2, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2015

का.आ. 1063(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम.एस. साहू को भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक के लिए, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. 5/22/2014-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2015

S.O. 1063(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri M. S. Sahoo as Member of the Competition Commission of India from the date of his assumption of charge of the post for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 5/22/2014-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

1794 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.